को पेश हों ।

18/12/2025. पत्रा॰ पेश हुई। अधि॰ उप॰। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री सचिन यादव R.A.S.)

प्रकरण सं. 06 / 2024
किस्म प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट
निर्णय दिनांक 18/12/2025

1. तोताराम पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर निवासी ऊँच तहसील नदबई

प्रार्थीगण

बनाम

1. तेजीराम पुत्र भगवानसहाय जाति ब्राह्मण निवासी ऊँच तहसील नदबई

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता श्री रामकिशन गुर्जर एडवोकेट प्रार्थी की तरफ से
श्री अशोक कुमार एडवोकेट अप्रार्थी की तरफ से

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

:: निर्णय ::

1. यह है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा न. 1231 रकवा 0.25 है., 1232 रकवा 0.24, 1233 रकवा 0.27, 1234 रकवा 0.25 वाके ग्राम ऊँच तहसील नदबई में स्थित है, जिसमें वादी खातेदार काश्तकार दर्ज रेवेन्यू रिकॉर्ड है।
2. यह है कि उक्त विवादित आराजी के सटैमा खसरा नम्बर 1235 रकवा 0.51 स्थित है। जिस पर अप्रार्थी कब्जा होने का दावा करता है। लेकिन अप्रार्थी का खसरा नम्बर 1235 पर किसी प्रकार का कोई कब्जा न होते हुए भी प्रार्थी के खसरा नम्बरान में अप्रार्थी जबरन लटठ के बल पर अतिक्रमण करना चाहता है और प्रार्थी के स्वामित्व व कब्जे काश्त की आराजी में मौका के विपरीत जबरन कब्जा करना चाहता है। जिसके लिए प्रार्थी ने कई बार तहसीलदार साहब नदबई द्वारा पैमाइश प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें पैमाइश टीम मौके पर पहुंच कर पैमाइश करना चाहा लेकिन झगडे की संभावना होने के कारण पैमाइश न हो सकी और विवाद बढता चला गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी पैमाइश करा पाने का अधिकारी है।
3. यह है कि उक्त विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 02 प्रार्थना पत्र की आराजी प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी की आराजी है। जिस पर प्रार्थी अनाधिकृत अतिक्रमण की फिराक में है। जिसे प्रार्थी सीमाज्ञान कराकर मुताबिक रिकॉर्ड जमाबंदी हिस्से पर पत्थरगढी करा पाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

4. अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर खसरा न. 1231 रकवा 0.25, 1232 रकवा 0.24, 1233 रकवा 0.27, 1234 रकवा 0.25 वाके ग्राम उंच तहसील नदबई का सीमाज्ञान कर चिन्हित कर पत्थरगढी के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 एलआर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो/प्रतिवादीगण सं. 1 जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण स.1 की से श्री अशोक कुमार एडवो0 द्वारा उपस्थित होकर जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जो संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

1. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 में अप्रार्थी तेजीराम के खसरा नं0 1235 का प्रार्थना पत्र की मद संख्या 01 में दर्ज आराजी के सटैमा होने के अलावा अन्य कथन स्वीकार नहीं है।
2. यह है कि आराजी खसरा न. 1235, रकवा 0.51 का ग्राम ऊँच में स्थित है। जिसके तत्कालीन खातेदार कुशल चंद जैन पुत्र श्री मोतीलाल जैन जाति महाजन निवासी भरतपुर थे। जिन्हें यह आवंटन से प्राप्त हुई थी। तथा दिनांक 10.05.2019 तक बदस्तूर कब्जा काश्त रहा है। उसके बाद जरिये वयनामा सनत कुमार जैन को विक्रय कर दी गई। जो कि वयनामा दिनांक से ही काबिज होकर काश्त कर रहा है। वादी ने अपने खसरा नम्बर 1231, 1232, 1233, 1234 की आड में खसरा नं0 1235 की डौर मेढ को काट कर खसरा नम्बर 1235 पर कब्जा करने पर आमादा है।जिसकी पैमाइश हेतु तहसीलदार नदबई को प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन प्रतिवादीगण ने पैमाइश टीम से झगडा कर दिया।
3. यह है कि उक्त प्रकरण से संबधित एक दावा मुकदमा उनवान दामोदर बगै. बनाम तेजीराम बगै0 अन्तर्गत धारा 188 आरटीए विचाराधीन रहा है। जिसमें यह माना है कि तेजीराम का रकवा खसरा नम्बर 1235 चिपटैमा है। जिसका खातेदार तेजीराम है।
4. यह है कि उक्त आराजी खसरा नम्बर 1235 से संबधित एक प्रार्थना पत्र 128 एल आर एक्ट उनवानी तेजीराम बनाम तोताराम प्रकरण संख्या 06/22 में न्यायालय श्रीमान उपजिला कलक्टर महोदय, भरतपुर द्वारा विवादित आराजी खसरा नं0 1235 रकवा 0.51 हैक्टे. वाके ग्राम उंच के पैमाइश हेतु टीम गठित करते हुए एवं उभयपक्षकारान की उपस्थिति में खसरा नं0 1235 की सीमा कहां से कहां तक है, स्पष्ट करते हुए पैमाइश अनुसार मुडडी गडाई के आदेश प्रदान किये गये है। इस प्रकार उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबंदी संबत 2075–78 वाके ग्राम उंच एवं अप्रार्थी की ओर से नकल निर्णय दिनांक 09.09.2024 मुकदमा उनवान तेजीराम बनाम तोताराम बगै0 एवं प्रमाणित प्रतिलिपि ऑर्डरशीट दिनांक 12.04.2022 से दिनांक 06.07.2023 मुकदमा उनवान तेजीराम बनाम तोताराम बगै0 मुकदमा संख्या 06/2022 पेश किये गये।

प्रार्थी एवं अप्रार्थी के अधिवक्ताओ की ओर से बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. के तहत सुनी गई प्रार्थना पत्र एवं जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

हमने उभयपक्षकरान के विद्धान अधिवक्ताओ कि बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा न. 1231 रकवा 0.25 है., 1232 रकवा 0.24, 1233 रकवा 0.27, 1234 रकवा 0.25 वाके ग्राम ऊँच तहसील नदबई में स्थित है, जिसमें वादी खातेदार काश्तकार दर्ज रेवेन्यू रिकॉर्ड है। उक्त विवादित आराजी के सटैमा खसरा नम्बर 1235 रकवा 0.51 स्थित है एवं प्रार्थी द्वारा रिलीफ भी खसरा नम्बर 1235 रकवा 0.51 हैक्टे. वाके ग्राम उंच तहसील नदबई के संबंध में चाही गई है। नकल जमाबंदी संवत 2075--78 के खाता संख्या 62 के आराजी खसरा नं0 1235 रकवा 0.51 हैक्टे. पर प्रार्थी तेजीरात पुत्र भगवानसहाय हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण साकिन उंच खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जिसके संबंध में पूर्व में एक प्रार्थना पत्र 128 एल आर एक्ट उनवानी तेजीराम बनाम तोताराम प्रकरण संख्या 06/22 में न्यायालय द्वारा विवादित आराजी खसरा नं0 1235 रकवा 0.51 हैक्टे. वाके ग्राम उंच के पैमाइश हेतु टीम गठित करते हुए एवं उभयपक्षकारान की उपस्थिति में खसरा नं0 1235 की सीमा कहां से कहां तक है, स्पष्ट करते हुए पैमाइश अनुसार मुडडी गडाई के आदेश प्रदान किये गये है। इस प्रकार इस प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एलआर एक्ट बाबत् पैमाईश करवाकर सीमा चिन्हित कर मुड्डी गढाई खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18/12/25 को न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सचिन यादव, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)